ग्राम पंचायत देई का नौण, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, 177020 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025

भाग-1

1. प्रस्तावना:-

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत देई का नौण, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत देई का नौण में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती सपना देवी	01.04.2024 से 31.03.2025

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री अश्वनी कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत देई का नौण, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.24 से 31.03.25 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.4	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अंतशेष में अंतर का समाधान न करना	0.42
2	4.5	निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि रखना	0.62
3	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	19.13
4	7.1	पंचायत का गृहकर/ सम्पत्ति कर वसूली हेतु शेष	0.01
5	8.1	आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई खनन निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना अनियमित भुगतान करना	5.65
6	8.2	संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.12
7	9.1	मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत करवाए गये निर्माण कार्य हेतु अधिक भुगतान करना	0.04
8	9.2	पत्थर की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.03
9	9.3	औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	0.42
10	9.4	क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न करना	0.75
11	9.5	व्यय के समर्थन में माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	6.19

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

ग्राम पंचायत देई का नौण, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखाओं के लिए अधियाचना संख्या 114/2025 दिनांक 23.06.2025 के प्रत्युतर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अवगत करवाया कि हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला द्वारा ग्राम पंचायत देई का नौण, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर का यह **प्रथम** अंकेक्षण है।

भाग-2

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत देई का नौण, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री अमित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 23.06.2025 से 27.06.2025 तक ग्राम पंचायत देई का नौण, के कार्यालय में किया गया | आय-व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की अधिकतम आय तथा पंचायत के अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2024-25	03/2025	10/2024

अस्वीकरण (Disclaimer) :- *इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है| पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत या अनुपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।*

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत देई का नौण, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4000/-** (15वें वित्तायोग के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक के ऑनलाईन ऑडिट के अंकेक्षण शुल्क सहित) आंका गया | अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 118/2025 दिनांक 27/06/2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा **कंगडा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित, हमीरपुर के DD NO – KAA 403589 दिनांक**

27.06.2025, द्वारा इस राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया है|

4. वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत देई का नौण, द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11/2025 दिनांक 23.06.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 के लेखों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट-1** पर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान (3) ऑनलाइन रोकड़ बहियों अर्थात स्व: स्त्रोत व अनुदान (प्लानिंग), 15वें वित्तायोग व मनरेगा शीर्ष का रख-रखाव किया गया था।

(1) (क) स्व: स्त्रोत व अनुदान:-

ग्राम पंचायत देई का नौण, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के स्व: स्त्रोत व अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (2+3)	व्यय	अंतिम शेष (4-5)
1	2	3	4	5	7
2024-25	1869632.72	724535.00	2594167.72	681606.00	**1912561.72**

(ख) 15वें वित्तायोग:-

ग्राम पंचायत देई का नौण, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के 15वें वित्तायोग की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (2+3)	व्यय		अंतिम शेष (4-5)
1	2	3	4	5		7
2024-25	1201275.00	937109.00	2138384.00	530259.00		**1608125.00**

(ग) संकलित वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत देई का नौण, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के संकलित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

निधि	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अंत शेष (₹)
स्व: स्त्रोत व अनुदान	2024-25	1869632.72	724535.00	2594167.72	681606.00	**1912561.72**
15वां वित्तायोग शीर्ष	2024-25	1201275.00	937109.00	2138384.00	530259.00	**1608125.00**
मनरेगा	2024-25	0.00	1791518.60	1791518.60	1791518.60	0.00
संकलित वित्तीय स्थिति	**2024-25**	**3070907.72**	**3453162.60**	**6524070.32**	**3003383.60**	**3520686.72**

(2) दिनांक 31.03.25 को ग्राम पंचायत देई का नौण, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के बैंक शेषों के अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान	कंगडा केंद्रीय सहकारी सीमित बैंक हमीरपुर	20005086199	805490.45
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान	कंगडा केंद्रीय सहकारी सीमित बैंक हमीरपुर	20005051610	408272
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान	पंजाब नेशनल बैंक हमीरपुर	0211000109258588	585688.12
4	15वां वितायोग	आई डी बी आई बैंक हमीरपुर	1038104000046659	**1617138.00**
		कुल योग		**3416588.57**

(3) दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार :-

दिनांक 31.03.2025 को वितीय स्थिति का अंत शेष		
1	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का अंतिम शेष	3520686.72
2	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	3416588.57
	अन्तर	**104098.15**

दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी		
1	स्व: स्रोत व अनुदान (समेकित) की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	912561.72
2	15वें वितायोग की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	608125.00
3	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का कुल अंतिम शेष	520686.72
4	**दिनांक 31.03.2025 को हस्तगत राशि (घटाव)**	**61963.15**
5	**दिनांक 31.03.2025 को असमायोजित राशि (घटाव)**	**42135.00**
6	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का शुद्ध अंतिम शेष	416588.57
7	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	416588.57
अंतर		**0.00**

(4)रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अंतशेष में 0.42 लाख के अंतर का समाधान न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10 (1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान नहीं किया गया था, जिसके कारण दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अंतिम शेष में **राशि ₹42135.00** का अंतर बैंक में कम जमा के रूप में पाया गया, जो पंचायत की सच्ची एवं सही वित्तीय स्थिति को नहीं दर्शाता है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 117/2025 दिनांक 23/[illegible]/2025 के प्रत्युत्तर में उक्त अंतर की राशि वारे सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र संख्या [illegible]6 दिनांक 27/06/2025 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया कि "उक्त पत्र में वर्णित रोकड़ बही का बैंक खातों से राशि के अंतर का पता लगाकर अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा"।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार अंतर के कारणों की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा असमर्थित अन्तर की राशि की उचित स्रोत से कर अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

(5) निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि ₹0.62 लाख रखना :-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा केवल राशि ₹1000 तक की राशि इम्प्रेस्ट रूप में रखना अपेक्षित है"।

ग्राम पंचायत की रोकड़ बही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार निर्धारित सीमा से अधिक **राशि ₹ 61963.15** को हस्तगत रखा गया था जो कि नियमों के विपरीत होने के कारण अनियमित है।

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 117/2025 दिनांक 27/06/2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 06 दिनांक 27.06.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि भविष्य में निर्धारित राशि से अधिक राशि को हस्तगत नहीं रखा जाएगा।

अत: ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार निर्धारित राशि से अधिक हस्तगत राशि रखने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने हेतु कारगर कदम उठाए जाये।

(6) स्व: स्त्रोत निधि के लिए अलग से रोकड़ बही व बैंक खाते का संचालन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए स्व: स्त्रोत खाता (क) (स्व: स्त्रोत के लेन देन हेतु) खोला जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित स्व: स्त्रोत निधि की रोकड़ बही व बैंक खाते में कार्यालय व्यय व पंचायत के पदाधिकारियों के वेतन राशि के लेन-देन की प्रविष्टियां भी होने के कारण यह पूर्ण रूप से स्व: स्त्रोत निधि (क) की स्वतः स्पष्ट स्थिति नहीं दर्शाती है।

इसके संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 117/2025 दिनाँक 27.06.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को स्व: स्त्रोत निधि की रोकड़ बही व बैंक खाते को अलग से संधारित न करने वारे अवगत करवाया गया, जिसकी अनुपालना में प्रतिउत्तर संख्या 06 दिनांक 27.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया कि स्व: स्त्रोत (क) की रोकड़ बही को पूर्ण रूप से अलग करके संधारित कर लिया जाएगा।

अत: विभिन्न अनुदानों के शामिल होने के कारण पंचायत की स्व: स्त्रोत (क) की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका जिस बारे उक्त नियम प्रावधान

एवं दिनांक 15.02.2012 को जारी निर्देशों के दृष्टिगत तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में स्व: स्त्रोत की रोकड़ बही व बैंक खाते में केवल स्व: स्त्रोत निधि की आय व व्यय (अनुदानों के अतिरिक्त) का लेन देन करना ही ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित किया जाए।

5. सावधिक निवेश :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास पंचायत निधि (स्व: स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 114/2025 दिनांक 23/06/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में प्रतिउत्तर पत्र संख्या 06 दिनांक 27.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया कि पंचायत का अवधि 04/24 से 03/25 के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश **शून्य** है |

अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्व:स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बही का नियमानुसार रख-रखाव करके, स्व:स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹19.13 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं व मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है"।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 114/2025 दिनाँक 23.06.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट-1** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदानों के स्वः स्रोत में प्राप्त राशियों में से **राशि ₹1912561.72** उपयोग हेतू शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 114/2025 दिनांक 23/06/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या 06 दिनांक 27.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए नियमानुसार उक्त शेष राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाये व तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 38 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है" |

अंकेक्षण के दौरान प्राप्त विभिन्न अनुदानों के व्यय सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किये गए, फलस्वरूप अंकेक्षणावधि में कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 114/2025 दिनांक 23/06/2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 06 दिनांक 27.06.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही/अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति अंकेक्षणार्थ उपलब्ध न करवाना :-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार सचिव, ग्राम पंचायत अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार है तथा सचिव, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० शिमला-9 के पत्र संख्या पी०एच –एच ए (5)सी (15)313/89-4614 -4787 दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी व अन्य स्वीकृति एजेन्सी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई राशियों के स्वीकृति पत्र उपलब्ध करवाएगी ताकि अंकेक्षण के समय सुनिश्चित किया जा सके कि धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की जा रही है" । किन्तु अंकेक्षण के दौरान अनुदान आदेश/स्वीकृति पत्र अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किये गए ।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 114/2025 दिनांक 23/06/2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 06 दिनांक 27.06.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत को प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में ही अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता |

अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे एवं प्राप्त अनुदान राशि सम्बन्धित स्कीम पर खर्च की गई थी अथवा नहीं।

अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यह प्रकरण उक्त दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ भी लाया जाता है।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत का गृहकर/ सम्पत्ति कर वसूली हेतु राशि ₹0.01 लाख शेष:-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 34 (2) के प्रावधानानुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जाएगी" ।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 114/2025 दिनांक 23/06/2025 के प्रतिउत्तर में सलंग्न **परिशिष्ट-2** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन व अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2025 तक पंचायत का गृहकर/सम्पत्तिकर **राशि ₹110[illegible]00** वसूली हेतु शेष थी ।उक्त शेष राशि से स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंभीर नहीं है।

अतः पूर्वोक्त नियम प्रावधान के दृष्टिगत बकाया सम्पत्तिकर की वसूली न क्र पाने के कारणों से अवगत करवाते हुये गृहकर की राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना राशि ₹5.65 लाख का अनियमित भुगतान करना :-

'हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल-2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० की अनुपालना में अब ठेकेदार/ विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या'डब्लयू' प्रस्तुत करने/उपलब्ध करवाने पर ही किया जाएगा"।

अंकेक्षण अवधि 04/2024 से 03/2025 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलंग्न नहीं थे। परिणामस्वरुप आपूर्तिकर्ताओं को **परिशिष्ट- 3** अनुसार **राशि ₹564557** का अनियमित भुगतान किया गया था।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 117/2025 दिनांक 27/06/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 06 दिनांक 27.06.2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त ट्रांजिट पास फार्म डब्लू या सप्लीमेंटरी पास फार्म एक्स सम्बन्धित

आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार लेकर ही भुगतान किया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों के विपरीत एवं अनियमित प्रतीत होता है |

अत: उक्त राशि के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अथवा इस प्रकरण को सम्बंधित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.2 संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर जी.एस. टी. टी. डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.12 लाख का अधिक भुगतान करना |

"हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29[illegible]6 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एकल अनुबंध के अन्तर्गत ₹2500[illegible] से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. +1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति हेतु सलंग्न **परिशिष्ट-4** अनुसार **राशि ₹575913.00** (जी.एस.टी. को छोडकर) का भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **राशि ₹1151[illegible]6** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अपेक्षित होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 117/2025 दिनांक 27/[illegible]/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 06 दिनांक 27.06.2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार बनती जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों से नही की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा | प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: जी.एस.टी.(टी.डी.एस.). की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत

करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार देय अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

9.1 मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत करवाए गये निर्माण कार्य हेतु जारी सामग्री के उचित लेखांकन के अभाव में राशि ₹0.04 लाख का अनियमित/ अधिक भुगतान करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम क्रमशः 44 व 76 के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत के प्रधान और सम्बद्ध सचिव द्वारा निधि से व्यय उपगत या प्राधिकृत करते समय वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों को प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता के साथ अनुपालन करेंगे तथा संबद्ध पंचायत सचिव किसी भी अति संदाय / अधिक भुगतान की वसूली करने हेतु उतरदायी होगा"।

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत करवाए गये निर्माण कार्य हेतु **जारी सामग्री के उचित लेखांकन के अभाव में** सलंग्न **परिशिष्ट-5** अनुसार **राशि ₹4030.00** स्टील व रेत के रूप में ग्राम पंचायत द्वारा माप पुस्तिका में दर्शाई गई खपत मात्रा से अधिक मात्रा के उचित लेखांकन के अभाव में अनियमित भुगतान किया गया था।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 117/2025 दिनांक 27/06/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 06 दिनांक 27.06.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अधिक भुगतान की वसूली करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत किये गए अनियमित अधिक भुगतान की वसूली संबन्धित से करके अंकेक्षण में अपेक्षित अभिलेख सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये

9.2 पत्थर की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण ₹0.03 लाख का अधिक भुगतान करना:-

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के भवनों एवं सडकों के लिए सामग्री सम्बन्धी अध्याय-[illegible] के पैरा 2.1.2.13 के अनुसार बजरी की आपूर्ति पर 6 एम.एम. से लेकर 20 एम.एम. तक 5% तथा 25 एम.एम. से लेकर 40 एम.एम. तक 10% तथा पत्थरों की आपूर्ति पर 63 एम.एम. से लेकर [illegible] एम.एम. तक 12.5% की दर से रिक्तियों (Voids) की कटौती उपरान्त भुगतान किया जाना अपेक्षित है|

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण कर[illegible]र पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पत्थरों (cut stone) की खरीद हेतु सलंग्न **परिशिष्ट-**[illegible]अनुसार राशि ₹28073.00 का कुल भुगतान किया गया, लेकिन आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान कर[illegible] पूर्व रिक्तियां (Voides) की कटौती न करने के कारण **राशि ₹2807.30** का अधिक भुगतान[illegible]या गया था।

ग्राम पंचायत द्वारा अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना स[illegible]ा 117/2025 दिनांक 27/06/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसक[illegible]अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र 06 दिनांक 27.06.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि उक्त पत्र में व[illegible]त पत्थर (cut stone) की खरीद पर रिक्तियों (voids) की कटौती नहीं की गई है, लेकिन इ[illegible]के भुगतान की वसूली करने उपरान्त पंचायत निधि में जमा करवा दिया जायेगा।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त रिक्तियां (void[illegible]की कटौती न करने के फलस्वरूप की गई अधिक भुगतान राशि के जमा व इन्द्राज उपरान्त अ[illegible]क्षण को शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश ल[illegible]ने हेतु निर्माण कार्यों की नमूना जांच एवं सत्यापना नियमानुसार उच्च तकनीकी अधिकारियों द्व[illegible] भी की जानी सुनिश्चित की जाए।

9.3 राशि ₹0.42 लाख की औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्र[illegible]करना :-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते)[illegible]यम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्राव[illegible]त हैं" |

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के दौरान चयनित मास 03/2025 में स[illegible] **परिशिष्ट-7** अनुसार पंचायत द्वारा राशि ₹41909.00 की सामग्री का क्रय निविदाएँ (Quota[illegible]ons) आमंत्रित किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कार[illegible]अनियमित व आपत्तिजनक है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 117/2025 दिनांक 2[illegible]06/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 06 दिनांक 27.06.2025 द्वारा स्पष्ट किया [illegible] 'उक्त पत्र में वर्णित औपचारिकताओं को पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया[illegible]एगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट कि[illegible]जाए तथा इस वारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इन अनियमितताओं को सक्षम अधिकारी की का[illegible]र स्वीकृति से नियमित करवाया जाये व भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुए [illegible]यमानुसार ही स्टोर/स्टॉक का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.4 राशि [illegible].75 लाख क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त ,बजट, लेखे, संपरीक्षा, सकर्म, कराधान और भते) नियम, 2002 के नियम 69 के अनुसार सचिव द्वारा स्टॉक /सामान की प्राप्ति पर उसका यथास्थिति परीक्षण, गणना, माप या तोल कर तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाना अपेक्षित है|

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों हेतू क्रय किए गए सामान के बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि सलंग्न **परिशिष्ट-8** अनुसार **राशि ₹74[illegible].00** की सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति व खपत / जारी करने से सम्बन्धित प्रविष्टियां दर्ज नहीं थी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 117/2025 दिनांक 27/06/2025 द्वारा यह प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 06 दिनांक 27/06/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित स्टॉक रजिस्टर में क्रय किए गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियां कर दी जाएगी व अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्यहीन एवं नियमों के प्रतिकूल होने के कारण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि क्रय किए गए प्रत्येक सामान का स्टॉक का इन्द्राज न करना अपने आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है |

अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ अभिलेख में नियमानुसार करके सत्यापनार्थ अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जायें |

9.5 राशि ₹6.19 लाख के व्यय के समर्थन में माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम [illegible] (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को वांछित सुसंगत अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा चयनित मास 03/2025 में सलंग्न **परिशिष्ट-9** अनुसार कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों के अन्तर्गत राशि **₹619000.00** का भुगतान किया गया था, जिसके सन्दर्भ में अधियाचना संख्या 117/2025 दिनांक 27/06/2025 द्वारा माप पुस्तिकाओं को सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

सचिव द्वारा पत्र 06 दिनांक 27/06/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त पत्र में वर्णित माप पुस्तिकाओं को अगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा | नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है | परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी |

अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) की अनुपालना सहित अपेक्षित अभिलेख अन्केक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाए।

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख / रजिस्टरों का अनुसरण करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न अभिलेख/रजिस्टरों का रख रखाव नहीं किया गया था, इस प्रकार लेखांकन प्रक्रिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के रिसन (leakage) दुर्विनियोजन अथवा दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपतिजनक है।

हि०प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	प्रारूप संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33
3	बजट प्राकलन रजिस्टर	11	37
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
6	गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो से सम्बंधित अभिलेख का रजिस्टर	30	89
7	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
8	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	--	101 (2) (v)
9	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

	हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य)नियम 1997		
1	सीद बुक स्टॉक रजिस्टर	2	34
2	वेकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34
3	अनुदान रजिस्टर	8	34
4	अचल संपत्ति रजिस्टर	11	34

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 114/2025 दिनांक 23.06.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को सं त अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया गया, जिसके प्रतिउतर में, सचिव द्वारा अपने 06 दिनांक 27/06/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्ट / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में सभी रजिस्टरों को तैयार के आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नि सार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत रवाया जाए |

11 भण्डा ा प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम के अंतर्गत पंचायत के स्टोर/स्टॉक का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षि |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्ष अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल के तहत खरीदी गई साम की तिथि विशेष को भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 114/2025 दिनांक 23.06.2025 की अनुपालना में सचिव द्वारा संख्या 06 दिनांक 27/06/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अव 01/04/2024 से 31/03/2025 तक स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं वाया गया है जिसे भविष्य में नियमानुसार सत्यापित करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उतर तथ्य त होने के कारण मान्य नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये गए स्टोर / स्टॉक के भौति सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सक

अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 लघु आपत्ति विवरणिका:- इसे अलग से जारी नहीं किया गया है अपितु समय-2 पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं/नियम प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुये छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

13 निष्कर्ष:- लेखों में सुधार और ठोस कदम उठाने की नितान्त आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष 0177–2620046

21 AUG 2025

5450 – 5454

कार्यालय प्रति

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)133/2025 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
5. (पंजीकृत) सचिव, ग्राम पंचायत देईं का नौण, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

21 AUG 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष 0177–2620046

कार्यालय प्रति

परिशिष्ट 1 पैरा संख्या 4 में संदर्भित						
ग्राम पंचायत देई का नौण, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177020						
वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	विवरण	आरंभिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	शेष राशि (₹)
1	**स्व: स्त्रोत व अनुदान 15वें** वित्तायोग सहित)	**3070907.72**	**1661644.00**	**4732551.72**	**1211865.00**	**3520686.72**
2	**स्व: स्त्रोत व अनुदान** 15वें वित्तायोग रहित)	1869632.72	724535.00	2594167.72	681606.00	1912561.72
3	**15 वें वितायोग**	1201275.00	937109.00	2138384.00	530259.00	1608125.00
4	**मनरेगा**	**0.00**	**1791518.60**	**1791518.60**	**1791518.60**	**0.00**
संकलित वित्तीय स्थिति (1)+(4)		**3070907.72**	**3453162.60**	**6524070.32**	**3003383.60**	**3520686.72**

Secretary
Gram Panchayat Dei-Ka-Naun
Development Block Hamirpur (H.P.)

(12)

परिशिष्ट 1.1 पैरा संख्या 4 में संदर्भित

[illegible]ग्राम पंचायत देई का नौण, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177020

दिनांक 31.03.25 को बैंक का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	[illegible] का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)	
1	स्व: स्त्रोत [illegible]ुदान	कंगडा केंद्रीय सहकारी सीमित बैंक हमीरपुर	20005086199	805490.45	**1799450.57**
2	स्व: स्त्रोत [illegible]ुदान	कंगडा केंद्रीय सहकारी सीमित बैंक हमीरपुर	20005051610	408272	
3	स्व: स्त्रोत [illegible]ुदान	पंजाब नेशनल बैंक हमीरपुर	0211000109258588	585688.12	
5	15 वें वित[illegible]	आई डी बी आई बैंक हमीरपुर	1038104000046650		**1617138.00**
	कुल योग				**3416588.57**

Secretary
Gram Panchayat Dei-Ka-Naun
Development Block Hamirpur (H.P.)

20

परिशिष्ट 1.2 पैरा संख्या 4 में संदर्भित		
ग्राम पंचायत देई का नौण, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177020		
दिनांक 31.03.2025 को वितीय स्थिति का अंत शेष		
1	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का अंतिम शेष	3520686.72
2	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	3416588.57
	अन्तर	**104098.15**
दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी		
1	स्वयं स्रोत व अनुदान की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	1912561.72
2	15वें वितायोग की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	1608125.00
3	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का अंतिम शेष	3520686.72
4	**दिनांक 31.03.2025 को असमायोजित राशि (घटाव)**	**42135.00**
5	**दिनांक 31.03.2025 को हस्तगत राशि (घटाव)**	**61963.15**
6	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का कुल अंतिम शेष	3416588.57
7	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	3416588.57
	अंतर	**0.00**

Secretary
Gram Panchayat Dei-Ka-Naun
Development Block Hamirpur (H.P.)

परिशिष्ट 2 पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत देई का नौण, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

(01.04.2024 से 31.03.2025)

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक **गृह कर** की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2024-2025	[illegible]0.00	409	100.00	40900.00	41400.00	40300.00	**1100.00**

Secretary
Gram Panchayat Dei-Ka-Naun
Development Block Hamirpur (H.P.)

22

परिशिष्ट 3 पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत देई का नौण, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना भुगतान करना
(01.04.2024 से 31.03.2025)

क्रम संख्या	शीर्ष	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	आपूर्तिकर्ता का नाम	सामान	मात्रा	राशि (₹)
1	MNREGA	Roof Top Water Harvesting k in the Land of Vipin Kumar s/o Braham Dass vill Lay	188	M/s Surinder kumar Govt Contractor, vill Lambhera, PO Khiah, Hamirpur	Agg.	5.66	7216.00
			188		Sand	5.66	8490.00
2	MNREGA	/Wall near the house of Rattan Chand vill Paniala	148		Agg.	5.66	7216.00
			148		Sand	5.66	8490.00
3	MNREGA	P/Wall near the house of Ilam Chand vill Paniala	147		Agg.	5.66	7216.00
			147		Sand	5.66	8490.00
4	MNREGA	/o P/Wall near the house of Rakesh Kumar vill Lay	186		Agg.	5.66	7216.00
			186		Sand	5.66	8490.00
5	MNREGA	RTWHT in the Land of Satish ar s/o Man Chand vill Paniala	160		Agg.	5.66	5773.00
			160		Sand	5.66	6593.00
6	MNREGA	RTWHT in the Land of Bidhi Chand Vill Nareli	152		Agg.	5.66	7358.00
			152		Sand	5.66	7924.00
7	MNREGA	/o P/Wall near the house of ntosh Kumari vill Chalokhar	177		Agg.	5.66	7216.00
			177		Sand	5.66	8490.00
8	MNREGA	/wall near the house of Shyam Singh vill Chalokhar	185		Agg.	5.66	7216.00
			185		Sand	5.66	8490.00
9	MNREGA	/o P/Wall near the house of Pardeep Kumar vill Lay	140		Agg.	5.66	7216.00
			140		Sand	5.66	8490.00
10	MNREGA	o P/ Wall near the house of alochna Devivill Ghumarda	139		Agg.	5.66	7216.00
			139		Sand	5.66	8490.00
11	MNREGA	P/wall near the house of Ram Cand vill Paniala	125		Agg.	5.66	7358.00
			125		Sand	5.66	7924.00
12	MNREGA	/wall near the house of Neelam Kumari vill Paniala	124		Agg.	5.66	7358.00
			124		Sand	5.66	7924.00
13	MNREGA	/o P/Wall near the house of am Dass vill Andreli Rangrian	170		Agg.	5.66	7216.00
			170		Sand	5.66	8490.00
14	MNREGA	/Wall near the house of Manu Bala vill Ghumarda	137		Agg.	5.66	7216.00
			137		Sand	5.66	8490.00
15	MNREGA	/Wall near the house of Bidhi Chand Vill Lay	174		Agg.	5.66	7216.00
			174		Sand	5.66	8490.00
16	MNREGA	/o P/Wall near the house of bhash Chand vill Ghumarda	153		Agg.	5.66	7216.00
			153		Sand	5.66	8490.00
17	MNREGA	P/Wall near the house of Tek Chand vill Paniala	146		Agg.	5.66	7216.00
			146		Sand	5.66	8490.00
18	MNREGA	/Wall near the House of Manoj Kumar Vill Lay	141		Agg.	5.66	7216.00
			141		Sand	5.66	8490.00
19	MNREGA	/Wall near the house of Simro Devi vill Nareli	178		Agg.	5.66	7216.00
			178		Sand	5.66	8490.00
20	MNREGA	/o P/Wall near the house of Prakash Chand vill Paniala	172		Agg.	5.66	7216.00
			172		Sand	5.66	8490.00
21	MNREGA	/Wall near the house of Sonu vill Nareli	176		Agg.	4.00	5100.00
			176		Sand	4.00	6000.00
22	MNREGA	RTWHT in the Land of Neeraj Kumar vill Chalokhar	183		Agg.	5.66	7216.00
			183		Sand	5.66	8490.00
23	MNREGA	RTWHT in the Land of Ashok Kumar Vill Lay	145		Agg.	5.66	7216.00
			145		Sand	5.66	8490.00
24	MNREGA	/Wall near the house of Sanjay ar s/o Dile Ram vill Andreli Rangrian	171		Agg.	5.66	7216.00
			171		Sand	5.66	8490.00

25	MNREGA	C[illegible]/Marg and Protection Wallnear [illegible]he House of Manu Bal vill Ghumarda Bhulwana	135	Agg.	34	43350.00
			135	Sand	18	27000.00
26	MNREGA	[illegible] R/Wall Near The House of [illegible]a Devi w/o Kishan Chand vill Nareli	134	Agg.	9.5	12350.00
			134	Sand	5.66	7924.00
27	GIA Planning	[illegible] Link Road R/Wall Near the [illegible]se of Rikhi Ram vill Chalokhar	7	Agg.	17	22750.00
			7	Sand	9	12600.00
28	GIA Planning	[illegible] S/Marg From Pully to Main Road Vill Jhalwani	12	Agg.	38.32	48457.00
			12	Sand	16	22400.00
		Total				**564557.00**

Secretary
Gram Panchayat Dei-Ka-Naun
Development Block Hamirpur (H.P.)

24

परिशिष्ट 4 पैरा संख्या 8.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत देई का नौण, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

(जी.एस.टी.टी.डी.एस.) की वसूली न करने वारे (01.04.2024 से 31.03.2025)

क्रम संख्या	वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	कुल राशि (₹)	जी.एस.टी.(टी.डी.एस.) की कटौती राशि (₹)
1	01-04-2024 to 31-03-2025	M/s Surinder kumar Govt Contractor, vill Lambhera, PO Khiah, Hamirpur	Sand, Aggregate, cut stone	575913	11518.26
कुल योग					**11518.26**

Secretary
Gr...
...pur (H.P.)

25

22

परिशिष्ट 5 पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित				
ग्राम पंचायत देई का नौण, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर				
1. निर्माण कार्य का नाम :-निर्माण वॉटर टैंक, विधि चंद गाँव नरेली।				
निधि का नाम -मनरेगा				
स्वीकृत राशि -100000/-				
कुल खर्च राशि - 85000/-				
मापन पुस्तिका पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (किलो ग्राम)	रूपांतरण कारक	टीएमटी सरिया
MB-173 41-43	टीएमटी सरिया	127	0.00	127
कुल योग				**127**
बिल संख्या-3689 के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा				148
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री				21
क्रय दर				109.74
अधिक भुगतान राशि				2304.54
कुल योग				**2305.00**

2. निर्माण कार्य का नाम :-निर्माण सुरक्षा दीवार, सुरेश कुमार गाँव चलोखर।				
निधि का नाम -मनरेगा				
स्वीकृत राशि -50000/-				
कुल खर्च राशि -				
मापन पुस्तिका पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (घन मीटर)	रूपांतरण कारक	रेत
MB-173 43	1:5:10	9.6	0.47	4.51
कुल योग				**4.51**
बिल संख्या-177 के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा				5.66
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री				1.15
क्रय दर				1500
अधिक भुगतान राशि				1725.00
कुल योग				**1725.00**
कुल अधिक भुगतान राशि (1+2)				**4030.00**

26

Secretary
Gram Panchayat Dei-Ka-Naun
Development Block Hamirpur (H.P.)

परिशिष्ट 6 पैरा संख्या 9.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत देई का नौण, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

पत्थर की खरीद पर रिक्तियों (voids) की कटौती न करना

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	फार्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा वर्ग मीटर	कुल भुगतान (₹)	रिक्तियां (Voids) (₹)
1	Own Source & GIA (Planning)	C/O Sampark Marg from pulli to main road vill Jhalwani	151 24.04.24	M/s Surinder kumar Govt Contractor, vill Lambhera, PO Khiah, Hamirpur	Cut Stone	22.64	28073.00	2807.30
		Total					28073.00	2807.30

Secretary Gram Panchayat Dei-Ka-Naun Development Block Hamirpur (H.P.)

27

परिशिष्ट 7 पैरा संख्या 9.3 में संदर्भित

ग्राम पंचायत देई का नौण, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना किया गया क्रय

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का	राशि (₹)
1	MNREGA	C/o RTWHT in the land of Bidhi chand vill Nareli	3,680,152	M/s Swaran Cement & Hardware Store, vpo kuther, Hamirpur	TMT iron	26909.00
2	MNREGA	C/o Amrit vatika/Plantation I gp Dei Ka Naun	853 10.03.25	M/s Patial enterprises, Bhota road, dosarka, Hamirpur	sand, aggrigate	15000.00
		Total				**41909.00**

Secretary
Gram Panchayat Dei-Ka-Naun
Development Block Hamirpur (H.P.)

परिशिष्ट 8 पैरा संख्या 9.4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत देई का नौण, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी दर्ज न करने वारे

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	MNREGA	C/o Roof top Harvesting Tank land of vipin kumar s/o braham dass vill Lay	188 10.03.25	M/s Surinder kumar Govt Contractor, vill Lambhera, PO Khiah, Hamirpur	sand, aggrigate	14958.00
2	MNREGA	C/o P/wall near tha house of Rakesh kumar vill Lay	184 10.03.25	M/s Surinder kumar Govt Contractor, vill Lambhera, PO Khiah, Hamirpur	sand, aggrigate	14958.00
3	MNREGA	C/o P/wall near tha house of Shyam singh vill chalokhar	185 10.03.25	M/s Surinder kumar Govt Contractor, vill Lambhera, PO Khiah, Hamirpur	sand, aggrigate	14834.00
4	MNREGA	C/o P/wall near tha house of Simro devi vill Nareli	178 10.03.25	M/s Surinder kumar Govt Contractor, vill Lambhera, PO Khiah, Hamirpur	sand, aggrigate	14958.00
5	MNREGA	C/o Amrit vatika/Plantation I gp Dei Ka Naun	853 10.03.25	M/s Patial enterprises, Bhota road, dosarka, Hamirpur	iron items	15000.00
			Total			**74708.00**

Secretary
Gram Panchayat Dei-Ka-Naun
Development Block Hamirpur (H.P.)

27

परिशिष्ट 9 पैरा संख्या 9.5 में संदर्भित			
ग्राम पंचायत देई का नौण, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर			
माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना			
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	MNREGA	C/o s/marg and protevtion wallnear the house of manu bal vill ghumarda bhulwana	494000.00
2	Own Source / GIA (Planning)	R/o link road with retaing wall near the house rikhi ram vill chalokhar	125000.00
Total			619000.00

Secretary
Gram Panchayat Dei-Ka-Naun
Development Block Hamirpur (H.P.)